संख्या-57/2025/676/छप्पन-2025-34/1994

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 06 जून, 2025

विषय: जनपद वाराणसी में लालबहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी के विस्तारीकरण हेतु रकबा 13.7511159 हे0 भूमि अधिग्रहण हेतु बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 34/ना0उ0नि0/वाराणसी/2025 दिनांक 14 मई, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र संख्या-814/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0) वाराणसी दिनांक 06 मई, 2025 के क्रम में जनपद वाराणसी में लालबहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी के विस्तारीकरण हेतु रकबा 13.7511159 हे0 भूमि का अधिग्रहण किए जाने हेतु परियोजना के अन्तर्गत भूमि क्रय के लिए जिलाधिकारी, वाराणसी के पास उपलब्ध अवशेष धनराशि रू0 72,04,66,800.00 में से विज्ञप्तियों के प्रकाशन एवं सामाजिक समाघात आंकलन हेतु चयनित एजेन्सी के बिल के भुगतान तथा बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह के प्राप्त होने वाले बिलों के भुगतान हेतु अनुमानित/वांछित धनराशि रू0 32,00,000/- (रूपए बत्तीस लाख मात्र) व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या 102/2023/1326/छप्पन-2023-34/1994 दिनांक 22 सितम्बर, 2023 द्वारा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, वाराणसी के विकास/ विस्तारीकरण हेतु 356.5 एकड़ भूमि के क्रय के लिए कुल अनुमानित धनराशि रू0 10,18,25,00,000/- (रूपए दस अरब अठ्ठारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि रू0 5,50,00,00,000/- (रूपए पॉच अरब पचास करोड़ मात्र) अवमुक्त की गई एवं शासनादेश संख्या 22/2024/209/छप्पन-2024-34/1994 दिनांक 16 फरवरी, 2024 द्वारा धनराशि रू0 3,25,00,00,000/- (रूपए तीन अरब पच्चीस करोड़ मात्र) अवमुक्त की गई; शासनादेश संख्या 91/2024/1554/छप्पन-2024-34/1994टी0सी0-1 दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 द्वारा जनपद वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वाराणसी के रनवे के विस्तार हेतु एनएच-31 (पुराना एनएच-56) के रिएलायमेण्ट एवं रनवे के नीचे प्रस्तावित अण्डरपास के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि रकबा 10.5549 है0 के अधिग्रहण हेतु अनुमानित कुल धनराशि रू0 1,13,93,51,288/- (रूपए एक अरब तेरह करोड़ तिरान्नवे लाख इक्यावन हजार दो सौ अट्ठासी मात्र) तथा शासनादेश संख्या 97/2024/1653/छप्पन-2024-34/1994 दिनांक 05 नवम्बर, 2024 द्वारा जनपद वाराणसी स्थित लालबहादुर शास्त्री हवाई अड्डा के विस्तारीकरण हेतु 04 ग्राम पुरारघुनाथपुर, बसनी, घमहापुर करमी व करमी में आच्छादित आबादी श्रेणी 6(2) की प्रभावित भूमि को क्रय किए जाने हेतु प्रतिकर की धनराशि रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

48,49,43,383.00 (रूपए अड़तालीस करोड़ उन्चास लाख तैंतालीस हजार तीन सौ तिरासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त की गई है।

शासनादेश संख्या 103/2024/1554/छप्पन-2024-34/1994टी0सी0-1 दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 द्वारा लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी के नए टर्मिनल भवन एवं सम्बन्धी कार्यों के निर्माण में आ रही विद्युत तार, खम्भों को शीघ्र हटाने से सम्बन्धित प्राक्कलन धनराशि रू0 2,84,31,099.00 (रूपए दो करोड़ चौरासी लाख एकतीस हजार निन्नानवे मात्र) तथा शासनादेश संख्या 15/2025/47/छप्पन-2025-34/1994 दिनांक 29 जनवरी, 2025 द्वारा बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी के विस्तारीकरण हेतु आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किए जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि रू0 20,48,09,128/- (रूपए बीस करोड़ अड़तालीस लाख नौ हजार एक सौ अट्ठाईस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त की गई है।

शासनादेश संख्या 24/2025/161/छप्पन-2025-34/1994टी0सी0-1 दिनांक 21 फरवरी, 2025 द्वारा जनपद वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर के विस्तारीकरण के कारण विस्थापित होने वाली वन विभाग की परिसम्पत्तियों की मूल्यांकित धनराशि रू0 3,98,27,006/- (रूपए तीन करोड़ अट्ठान्नबे लाख सत्ताईस हजार छः मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त की गई है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी में लालबहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी के विस्तारीकरण हेतु रकबा 13.7511159 हे0 भूमि का अधिग्रहण किए जाने हेतु परियोजना के अन्तर्गत भूमि क्रय के लिए जिलाधिकारी, वाराणसी के पास उपलब्ध धनराशि रू0 72,04,66,800.00 में से विज्ञप्तियों के प्रकाशन एवं सामाजिक समाघात आंकलन हेतु चयनित एजेन्सी के बिल के भुगतान तथा बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह के प्राप्त होने वाले बिलों के भुगतान हेतु अनुमानित/वांछित धनराशि रू0 32,00,000/- (रूपए बत्तीस लाख मात्र) व्यय किए जाने की स्वीकृति/ सहमति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह शासनादेश पत्रावली संख्या 56-1099/332/2019 (कम्प्यूटर संख्या 209130) में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

संख्या- 57/2025/676(1)/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1.
7- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।